राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक एफ 7(4) ग्रीष्मावकाश ठहराव/अकाद/आकाशि/2024/16436

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः- ग्रीष्मावकाश में राजकार्य के लिए रोके जाने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के क्रम में।

महोदय,

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का आदेश क्रमांक एफ 7(4) कैलेंडर/अकाद/ आकाशि/2022/ दिनांक 14.04.2024 "राजकाज नं. 6613441" एवं आयुक्तालय का आदेश क्रमांक एफ 7(4) ग्रीष्मावकाश ठहराव/अकाद/ आकाशि/2024/16436 दिनांक 05.06.2024, "राजकाज नं. 7755865" के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सत्र 2023-24 के लिए ग्रीष्मावकाश में संपादित किये गए विभिन्न कार्यों के आधार पर रोके जाने की अवधि को (आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ 7(4) ग्रीष्मावकाश ठहराव/अकाद/ आकाशि/2024/16436; दिनांक 18.09.2024, "राजकाज नं. 10563499", समसख्यंक आदेश क्रमांक एफ 7(4) ग्रीष्मावकाश ठहराव/अकाद/ आकाशि/2024/16436; दिनांक 20.09.2024 "राजकाज नं. 10633569", समसख्यंक आदेश क्रमांक एफ 7(4) ग्रीष्मावकाश ठहराव/अकाद/आकाशि/2024/16436; दिनांक 15.10.2024 "राजकाज नं. 11100095" एवं समसख्यंक आदेश क्रमांक एफ 7(4) ग्रीष्मावकाश ठहराव/अकाद/आकाशि/2024/16436; दिनांक 20.11.2024 "राजकाज नं. 11792949" के तहत) आयुक्तालय स्तर पर अनुमोदित कर दिया गया है।

इस क्रम में प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2023-24 के शेष रहे अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा ग्रीष्मावकाश के दौरान संपादित किए गए विभिन्न राजकार्यों के आधार पर उपार्जित अवकाश की स्वीकृति का कार्य संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अपने स्तर पर ही कार्य सत्यापन करके नियमानुसार जांच कर RSR के नियम 92 (बी) के अनुसार स्वीकृत कर सकेंगे।

आगामी सत्र 2024-25 से ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान सेमेस्टर का अध्यापन कार्य, परीक्षा कार्य, प्रवेश कार्य, भौतिक सत्यापन इत्यादि के लिए प्राचार्य द्वारा औचित्यपूर्ण एवं आवश्यकतानुसार किसी संकाय सदस्य/कार्मिक को रोके जाने पर अधिकारियों/कार्मिकों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति का कार्य भी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अपने स्तर पर ही कार्य सत्यापन करके नियमानुसार जांच कर RSR के नियम 92 (बी) के अनुसार स्वीकृत कर सकेंगे।

डॉ. ओम प्रकाश बैरवा
(आयुक्त)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
7. रक्षित पत्रावली
8. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

डॉ. ओम प्रकाश बैरवा
(आयुक्त)

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.26 17:26:10 IST
Reason: Approved